राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना पीठासीन अधिकारी :– पंकज बड़गूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
116 / 2024	27.03.2024	13.07.2024

उनवान

1. महावीर पुत्र रामदयाल उर्फ दयालाराम
2. सुबेसिंह पुत्र रामदयाल उर्फ दयालाराम
3. रामानन्द पुत्र रामदयाल उर्फ दयालाराम जातियान अहीर निवासीयान ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

वादीगण

बनाम

1. बबरूभान पुत्र बेगराज
2. विजयसिंह पुत्र बेगराज
3. कैलाश पुत्र उमराव पुत्र बिहारी
4. इन्द्राज पुत्र उमराव पुत्र बिहारी जातियान अहीर निवासीयान ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमराना।

असल प्रतिवादी

6. चांदकोर पुत्री रामदयाल उर्फ दयालाराम
7. फूला पुत्री रामदयाल उर्फ दयालाराम
8. शारदा पुत्री रामदयाल उर्फ दयालाराम
9. माया पुत्री रामदयाल उर्फ दयालाराम जातियान अहीर निवासीयान ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।

तरतीवी प्रतिवादीगण

<u>दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी।</u>

उपस्थितः–

श्री अजय कुमार शर्मा अधिवक्ता – वादीगण ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा अधिवक्ता– प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04।

–::निर्णय::– दिनांक :– 13.07.2024

रोज यह पत्रावली बरूवे राजीनामा सुनाये जाने निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान मय उभयक्षकारान उपस्थित आये। वकील वादीगण ने प्रकरण मे उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया है जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली है, प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निर्णित कर दिये जाने का निवेदन किया। वादीगण के वाद का सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है कि आराजी ख.नं. हाल 760 / 2.33, 769 / 0.32, 770 / 0.26, 771 / 0.28, 772 / 0.27, 773 / 0.22, 776 / 0.10, 777 / 0.08, 778 / 0.09, 780 / 0.09, 782 / 0.18, 783 / 0.23, 784 / 0.22, 785 / 0.31, 786 / 0.32, 788 / 0.26, 761 / 0.50, 774 / 0.41, 775 / 0.38, 779 / 0.15, 781 / 0.47, 756 / 0.09, 762 / 0.08, 764 / 0.11, 765 / 0.05, 793 / 0.12, 794 / 0.11, 795 / 0.12, 796 / 0.15, 801 / 1332 / 0.03, 802 / 0.11, 803 / 0.26, 816 / 0.10, 817 / 0.17, 818 / 0.10, 821 / 0.10 हैक्टर वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना मे स्थित जिसमे प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पिता उमराव पुत्र बिहारी के नाम से एवं बिहारी पुत्र

सबके हिस्से की बाबत है। साबिक रिकॉर्ड मे हम वादीगण एवं
राज के नाम से दर्ज खातेदारी के हिस्से की बाबत है। साबिक रिकॉर्ड मे हम वादीगण एवं वादीगण के बुजुर्ग बिहारी, रामदयाल उर्फ दयालाराम व बेगराज पुत्रान जुगराम उर्फ ला के नाम से संभाग हिस्सा 1/6 की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन बंदोबस्त संवत 2 मे बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलती व लापरवाही से बिना मौके पर कब्जा श्त की जांच किए व बिना बिना पूछताछ किए तथा बिना पूर्व रिकॉर्ड मे दर्ज खातेदारी का लोकन किये ही नये नम्बर 760,769, 770, 771, 772, 773, 776, 777, 778, 780, 782, 3, 784, 785, 786, 788, 761, 774, 775, 779, 781 कायम कर गलती व लापरवाही से हम दीण व प्रतिवादीगण के तीनों बुजुर्गो के नाम से दर्ज खातेदारी दर्ज करने के बजाय ारी पुत्र बेगराज के नाम से हिस्सा 1/6 दर्ज कर दिया गया तथा ख.नं. 756, 762, 764, 5, 793, 794, 795, 796, 801/1332, 802, 803, 816, 817, 818 व 821 कायम कर उसके ारी व बेगराज पुत्रान जुगराम उर्फ जुगला को संभाग 1/6 के खातेदार दर्ज कर दिया गा। उनकी मृत्यु के बाद बिहारी का हिस्सा उसके पुत्र उमराव के नाम से दर्ज होगया तथा राज का हिस्सा उसके पुत्र विजयसिंह व बबरूभान के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन राजी मुतनाजा के मौके पर तीनों भाई अपने जीवनकाल मे अपने कुल हिस्सा 1/6 के /3 , 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते रहे तथा बिहारी की मृत्यु के बाद हारी का पुत्र उमराव व उमराव के बाद उसके पुत्र प्रतिवादी सं. 03 व 04 आराजी मुतनाजा 1/18 हिस्से पर काबिज हैं तथा हम वादीगण के पिता रामदयाल उर्फ दयालाराम की मृत्यु बाद उनके 1/18 हिस्से पर हम वादीगण व तर0प्रतिवादीगण संभाग के रूप मे काबिज है ं बेगराज के 1/18 हिस्से पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 मौके पर काबिज है। मौके पर कब्जा ाश्त मे आज तक किसी प्रकार की दिक्कतबाजी नही होने के कारण रिकॉर्ड की जानकारी ही हो पाई थी। लेकिन अब हमारे द्वारा किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबंदी की कल ली तब उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज गलत खातेदारी की जानकारी हुई तो म वादीगण ने आराजी मुतनाजा के साबिक रिकॉर्ड की नकले लेकर प्रतिवादीगण को आराजी ुतनाजा के हाल गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि ाप आराजी मुतनाजा के रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने की कार्यवाही करलो हम राजीनामा लेखकर पेश कर देगे इसलिए हम वादीगण द्वारा यह दावा पेश कर आराजी मुतनाजा के ाल गलत रिकॉर्ड को मौके व साबिक रिकॉर्ड के मुताबिक दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की ाई है।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 बाद तलबी न्यायालय हाजा मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया गया। जिसे बाद विधिवत सुनवाई उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की पहचान किये जाने पर बाद तस्दीक किया जाकर सामिल पत्रावली किया गया।

मुताबिक राजीनामा वकील उभय पक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संवत 2042 से पूर्व की प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया जिसमे आराजी मुतनाजा के 1/6बिहारी, रामदयाल उर्फ दयालाराम व बेगराज पुत्रान जुगराम उर्फ जुगला के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन संवत 2042 मे उक्त आराजी के 1/6 हिस्से की खातेदारी गलत दर्ज कर दी गई जिसे दुरूस्त करवाने हेतु वादीगण ने यह दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 04 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर आराजी मुतनाजा के गलत राजस्व रिकॉर्ड को स्वीकार कर, गलत इन्द्राज को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने बाबत अपना राजीनामा पेश किया। उक्त प्रस्तुत राजीनामा बाबत उभय पक्षकारान की बाद विधिवत सुनवाई तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक राजीनामा विवादित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान रामदयाल उर्फ दयालाराम, बिहारी, बेगराज पिसरान जुगराम उर्फ जुगला का 1/6 हिस्सा रहा है लेकिन हाल रिकॉर्ड मे खातेदारी गलत दर्ज कर दी गई और वादीगण के बुजुर्ग रामदयाल उर्फ दयालाराम का नाम छोड दिया गया। जिस गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का दावा वादीगण द्वारा पेश किया गया है जो दावा सही पेश किया है अंकित करते हुए वादीगण का दावा राजीनाम के आधार पर लोक अदालत की भावना से डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। इस प्रकार वादीगण के वाद को जरिये राजीनामा यह न्यायालय डिक्री किये जाने योग्य पाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण बरूये राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वादीगण के को इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी ख.नं. 760/2.33, 769/0.32, /0.26, 771/0.28, 772/0.27, 773/0.22, 776/0.10, 777/0.08, 778/0.09, /0.09, 782/0.18, 783/0.23, 784/0.22, 785/0.31, 786/0.32, 788/0.28, /0.50, 774/0.41, 775/0.38, 779/0.15, 781/0.47 हैक्टर वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा नीमराना के हाल राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदीयात मे " **बिहारी पुत्र देगराज हिस्सा 6 जाति अहीर सा0देह खातेदार"** दर्ज किया हुआ है उसे एवं हाल ख.नं. 756/0.09, /0.08, 764/0.11, 765/0.05, 793/0.12, 794/0.11, 795/0.12, 796/0.15, /1332/0.03, 802/0.11, 803/0.26, 816/0.10, 817/0.17, 818/0.10, 821/0.10 टर वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदीयात मे वादी सं. 3 व 4 के पिता उमराव पुत्र बिहारी के नाम से दर्ज हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी 1 व 2 के प्रत्येक के नाम से दर्ज हिस्सा 1/24 को कलमजन किये जाने के आदेश दिये ते है एवं इसके स्थान पर उक्त खसरा नम्बरान के वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण येक को हिस्सा 1/126 के खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक को हिस्सा /36 के खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 प्रत्येक को हिस्सा 1/36 के खातेदार श्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया वे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा से जारी कर मजमेआम लोक अदालत मे सुनाया गया।

13.7.2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

द्वीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
116/2024	27.03.2024	13.07.2024

उनवान

1. महावीर पुत्र रामदयाल उर्फ दयालाराम
2. सुबेसिंह पुत्र रामदयाल उर्फ दयालाराम
3. रामानन्द पुत्र रामदयाल उर्फ दयालाराम जातियान अहीर निवासीयान ग्ग्रम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

वादीगण

बनाम

1. बबरूनान पुत्र बेगराज
2. विजयसिंह पुत्र बेगराज
3. कैलाश पुत्र उमराव पुत्र बिहारी
4. इन्द्राज पुत्र उमराव पुत्र बिहारी जातियान अहीर निवासीयान ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमराना।

असल प्रतिवादी

6. चांदकोर पुत्री रामदयाल उर्फ दयालाराम
7. फूला पुत्री रामदयाल उर्फ दयालाराम
8. शारदा पुत्री रामदयाल उर्फ दयालाराम
9. माया पुत्री रामदयाल उर्फ दयालाराम जातियान अहीर निवासीयान ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।

तरतीवी प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी।

–:पर्चा डिक्री:–

वादीगण की ओर से श्री अजय कुमार शर्मा एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 की ओर से श्री प्रवीण कुमार शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 13.07.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि:–

वाद वादीगण बरूवे राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वादीगण के वाद को इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी ख.नं. 760/2.33, 769/0.32, 770/0.26, 771/0.28, 772/0.27, 773/0.22, 776/0.10, 777/0.08, 778/0.09, 780/0.09, 782/0.18, 783/0.23, 784/0.22, 785/0.31, 786/0.32, 788/0.26, 761/0.50, 774/0.41, 775/0.38, 779/0.15, 781/0.47 हैक्टर वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदीयात मे "**बिहारी पुत्र बेगराज हिस्सा 1/6 जाति अहीर सा0देह खातेदार**" दर्ज किया हुआ है उसे एवं हाल ख.नं. 756/0.09, 762/0.08, 764/0.11, 765/0.05, 793/0.12, 794/0.11, 795/0.12, 796/0.15, 801/1332/0.03, 802/0.11, 803/0.26, 816/0.10, 817/0.17, 818/0.10, 821/0.10 हैक्टर वाके ग्रान प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदीयात मे प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पिता उमराव पुत्र बिहारी के नाम से दर्ज हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के प्रत्येक के नाम से दर्ज हिस्सा 1/24 को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं इसके स्थान पर उक्त खसरा नम्बरान के वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण प्रत्येक को हिस्सा

1/126 के खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/36 के खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 प्रत्येक को हिस्सा 1/36 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज बड़गूजर)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)